>

Title: Situation arising due to shortage of power.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अपनी अनुज्ञा प्रदान की है। यह राजनीति से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों व्यक्तियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर से, वहां के खेत-खलिहान और चौपाल के गांव के किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

मैडम, सभी अवगत हैं कि जून माह में सामान्य से बहुत कम बारिश हुयी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट भी पैदा हो गया। पिछले दिनों हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की कि हमने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की और उसमें हमने निर्देश दिया है कि राज्य नये बिजली घर का निर्माण करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र हमारी आबादी और आवश्यकता के अनुसार हमें बिजली दे। मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी केंद्र 3,500 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को दे रही है। ऊर्जा पैदा करना राज्य का विषय है। राज्य में अभी केवल 4,082 मेगावाट थर्मल पावर की और 300 मेगावाट हाइड्रो पावर की कैपेसिटी है। उसका औसत उत्पादन 3 हजार मेगावाट हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में 9,500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार की प्राथमिकता ऊर्जा नहीं है। पिछले बीस सालों से, जब से कांग्रेस की सरकार वहां से गयी, उत्तर प्रदेश में कोई ऊर्जा घर स्थापित नहीं हुआ, जिसके कारण राज्य का जनजीवन और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को खरीफ की फसल के लिए पानी की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ केंद्र की यूपीए सरकार ने एक वर्ष में इस बार 13,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं पिछले 13 वर्षों से वहां बिजली का कोई संयत्र स्थापित नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र के ऊर्जा मंत्री जी ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिया कि नये ऊर्जा घर स्थापित किए जाएं, उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहां का किसान और जनता परेशान है। इस संबंध में अगर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि राज्य की प्राथमिकता केवल मूर्तियां लगाने की है, पार्क बनाने की, स्मारक बनाने की है, जिस तरह से...(व्यवधान) सुन लीजिए, सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है। आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने, सम्मानित उच्च न्यायालय ने भी आज राज्य सरकार को नोटिस दिया और हाई कोर्ट ने भी दिया। 4 हजार करोड़ रूपए नॉन प्रोडक्टिव आइटम में जिस तरह से अपने को महिमामंडित करने के लिए, अपनी मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, अपने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, उससे बिजली मिलने वाली नहीं है। केंद्र का निर्देश राज्य को ...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर सब-ज्युडिस है, उसे नहीं उठाना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आदरणीय विजय बहादुर जी वकील हैं, मैं भी एडवोकेट हूं। ...(व्यवधान) मैं जानता हूं कि अगर मैटर सब-ज्युडिस है, तो उसका रेफरेंस लिया जा सकता है। ...(व्यवधान) [p5]

अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है। आप कृपया बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका समय हो गया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं न्यायालय की आलोचना नहीं कर रहा हूं, न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने उस विषय का रैफरैंस दिया है। आप सुनिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय सदस्य विजय बहादुर जी ऐडवोकेट हैं। वे जानते हैं कि यह मैटर सब-जूडिस है।...(व्यवधान) मैं सम्मानित उच्च न्यायालय का आदर करता हूं और हमें उम्मीद है कि राज्य की जनता को न्याय मिलेगा।...(व्यवधान) मैटर सब-जूडिस है, इसीलिए हमें न्याय की उम्मीद है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं चाहता हूं कि केन्द्र के ऊर्जा मंत्री जी निर्देशित करें कि उन मूर्तियों, पार्कों, स्मारकों की जगह ऊर्जा घर स्थापित हो।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, माननीय जगदम्बिका पाल जी का सवाल महत्वपूर्ण और गंभीर है। लेकिन उन्होंने एक बात बिना पढ़े-लिखे कह दी है कि सब सरकारों ने ऐसा किया।...(व्यवधान) आप सुन लीजिए। आपने कहा है कि बीस सालों में किसी ने नहीं किया। हमने 3,700 मेगावाट बिजली का गाजियाबाद में इंतजाम किया था। आपकी सरकार ने कैसे नहीं दी?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया इस बारे में फुल-फ्लैज्ड डिबेट मत कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप कृपया शान्त होकर बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, Item No. 16.

Matters under Rule 377 listed for the day be treated as laid on the Table of the House.